भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

D

टी०ए० मिस केस सं० 23/17-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक श्री/श्रीमती निरंजन सुण्डी पिता/पति भूत गाला सुण्डी ग्राम गालियाकुदर वार्ड नं० 2 पोस्ट चक्रधरपुर थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है कि अपनी इलाज के लिए अपने जमीन मौजा जोगीबेड़ा थाना नं० 77 खाता नं० 53 प्लॉट नं० 21 रकवा 0.10 डि० क्रेता श्री/श्रीमती कुमारी मनिका मुरमी पिता/पति नन्द लाल मुरमी ग्राम कुमरसाईं पोस्ट गोपीनाथपुर थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तहार किया गया। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जाने वाली जमीन आवेदक/आवेदिका निरंजन सुण्डी के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास मो० 50,000/- रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में झुंडु हो पिता सोमा हो इत्यादि के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध पिता-पुत्र का है। जमाबन्दी पंजी ।। में खाता रैयत झुंडु हो पिता सोमा हो के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" के अनुसार आवेदक बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना चक्रधरपुर के निवासी है तथा अ०ज० जाति "हो" समुदाय के सदस्य है। 46(i)प्रोभिजो "बी" के अनुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला क्रमशः .... एवं .... अंचल के निवासी है तथा .... समुदाय के	

Corres Letter.

सदस्य है।

आवेदक उक्त वर्णित कारणों से जमीन को बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम जोरापोखर खाता/अन्य खाता 77 प्लॉट संख्या...... में रकवा 2.00.000 एकड़ अवशेष के रूप में बचती है। अचंल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 543/13

दिनांक 27.06.17 के द्वारा उक्त भूमि का बिकी हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तहार प्रतिवेदन पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती कुमारी मानिबा पुरती

पिता/पति नन्दलाल पुरती ग्राम कुमरडीह

पोस्ट गोपीनाथपुर थाना चक्रधरपुर जिला- प० सिंहभूम के पास में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिसो "ए"/"बी" के अन्तर्गत बिक्री द्वारा जमीन हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित 28.6.2017

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

28.6.2017

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.03.26 15:25:44 +05:30
Location: 10.93.69.133